रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 2007/श्रावण 29, 1929
No. 381] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 2007/SRAVANA 29, 1929

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2007

सा.का.नि. 556(अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसमें औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बिना नियम बनाना आवश्यक हो गया है;

और केन्द्रीय सरकार, इन नियमों को बनाये जाने के छह माह के भीतर औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करेगी;

अतः, अब, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 12 और धारा 33 की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों को, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली 110011 को भेजे जा सकते हैं;

आक्षेप या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर यथानिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 43-क "रानाघाट, बोनगांव और गोहिआसन रेलवे स्टेशन: बंगला देश के साथ सीमा से रेलवे द्वारा आयात औषधियों की बाबत" शब्दों के पश्चात् "पश्चिमी बंगाल में पैट्रापोल रोड, असम में सुतारकांदी, त्रिपुरा में पुराना रघना बाजार और अगरतला : बंगलादेश से सड़क द्वारा आयातित औषधियों और प्रसाधन सामग्रियों की बाबत" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे :

[फा. सं. एक्स. 11014/1/2007-डी एफ क्यू सी]

देवाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2007

G.S.R. 556(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that circumstances have arisen which render it necessary to make rules without consulting the Drugs Technical Advisory Board.

And whereas the Central Government shall consult the Drugs Technical Advisory Board within six months of making these rules;

Now, therefore, the following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by Sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), is hereby published as required by Sections 12 and 33 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and the notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary (Health), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi-110011;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, before the expiry of the period as specified above will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in rule 43-A, after the words "Ranaghat, Bongaon and Mohiassan Railway Station: in respect of drugs imported by rail across the frontier with Bangladesh." the words "Petrapole Road in West Bengal, Sutarkandi in Assam, Old Raghna Bazar and Agartala in Tripura: in respect of drugs and cosmetics imported by road from Bangladesh.", shall be inserted.

[F. No. X. 11014/1/2007-DFQC]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.